

थाना कौडिया पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 30.07.2026 को वादी लवकुश मिश्रा पुत्र रामप्रताप मिश्रा निवासी मंगलनगर, थाना खरगूपुर, जनपद-गोण्डा द्वारा थाना कौडिया पर लिखित तहरीर दी गई कि आपसी विवाद के चलते विपक्षी विजयानन्द तिवारी, देवानन्द तिवारी द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर जान से मारने की नियत से लाठी, डण्डा, चाकू से हमला कर दिया गया, जिसमें चन्द्रकेश्वर तिवारी उर्फ अन्नू विकास तिवारी के साथ प्रार्थी को भी कई जगह चोटें आई हैं। वादी के लिखित तहरीर के आधार पर थाना कौडिया पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही

दिनांक 24.09.2026 की रात्रि थाना कौडिया के 30नि0 गोलू तिवारी मय हमराह फोर्स के साथ क्षेत्र में खाना थे कि मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि उपरोक्त मुकदमे के वांछित अभियुक्तगण कटरा कर्नलगंज मार्ग पर मौजूद है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा कटरा कर्नलगंज मार्ग पहाडापुर चौकी से पहले सड़क पर बनी पुलिया के पास से अभियुक्तगण राजन उर्फ विकास त्रिपाठी पुत्र विजयानन्द तिवारी, अंकुर तिवारी पुत्र देवानन्द तिवारी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना कौडिया पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय खाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. राजन उर्फ विकास त्रिपाठी पुत्र विजयानन्द तिवारी निवासी ग्राम पूरेपाठक, थाना कौडिया, जनपद गोण्डा।
2. अंकुर तिवारी पुत्र देवानन्द तिवारी निवासी ग्राम पूरेपाठक, थाना कौडिया, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग

1. मु0अ0सं0-160/2026 धारा 190, 191(2), 191(3), 352, 109(1), 351(3), 324(2) बीएनएस थाना कौडिया, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. 30नि0 गोलू तिवारी थाना कौडिया मय टीम

मीडिया सेल, गोण्डा।

नोट

दिनांक 25.09.2026

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से दहेज प्रताड़ना के आरोपी अभियुक्त को हुई 01 वर्ष का कारावास व रुपये 10,000 /— के अर्थदण्ड की सजा—

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 18.07.2023 को वादिनी साबरीन की लिखित तहरीर के आधार पर दहेज प्रताड़ना का अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें महिला थाना पुलिस द्वारा आरोपी अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय रवाना प्रस्तुत किया गया था।

दोषसिद्धि का विवरण—

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम में महिला थाना में पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल, सहायक अभियोजक श्री नित्यानंद यादव, कोर्ट मोहरर का० पवन पटेल व महिला थाना के पैरोकार म०का० पूजा शुक्ला की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक 25.09.2026 को दोषी अभियुक्त अकरम पुत्र निसार सिविल जज/एफ०टी०सी० द्वितीय न्यायाधीश श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 01 कारावास व 10,000 /— रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्त का विवरण—

01. अकरम पुत्र निसार नि० पतिसा थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण—

01. मु०अ०सं०—75 / 2023 धारा 498ए, 323, 504, 506 भादवि 3/4 डीपी एक्ट थाना महिला थाना जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 26.09.2026

थाना को० नगर पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार—

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 25.09.2026 को वादी शिवेन्द्र कुमार मिश्र द्वारा थाना को० नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि दीवानी कचहरी गेट नं०—2 वाली रोड पर नंदू होटल के पास उसके छोटे भाई सत्यम मिश्र के साथ अनिल ओझा, सुरेन्द्र ओझा, देवेन्द्र ओझा, अमन ओझा निवासी गण माधवपुर गजाधरपुरवा, गोण्डा तथा 05 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एकराय होकर लाठी—डण्डा, भाला, हंसिया, चाकू एवं रिवाल्वर आदि असलहों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। आरोप है कि अभियुक्तों द्वारा चाकू से सिर पर वार किया गया तथा गाली—गलौज करते हुए पुलिस में शिकायत करने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी

दी गयी। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। वादी शिवेन्द्र कुमार मिश्र की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को० नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही—

आज दिनांक 26.09.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा आसरा आवास के सामने, सिविल लाइन के पास से वांछित अभियुक्त अमन ओझा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना को० नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. अमन ओझा पुत्र अनिल ओझा निवासी माधवपुर गजाधरपुर, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं० 0887/2026 धारा 109(1), 308(2), 191(2), 191(3), 115(2), 351(3), 352 बीएनएस, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता पुलिस टीम—

1. उ०नि० नितिन उपाध्याय।
2. का० विनय प्रताप
3. का० नीरज कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा।

थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा छिनैती करने के 03 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, 02 अदद कैमरा, 03 अदद मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार बरामद—

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 15.09.2026 को वादी शुभम गुप्ता पुत्र रामबली गुप्ता नि0 ग्राम देवया बक्स पाण्डेय पो0 चोरखरी पैकोलिया जनपद बस्ती द्वारा थाना को0 मनकापुर में लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 14.09.2026 को वह अपनी मोटरसाईकिल से अपने साथी संदीप गुप्ता के साथ करौहानाथ मंदिर मछली बाजार कैमरा लेकर फोटो खींचने आया था, वापस घर जाते समय मनकापुर मसकनवा रोड पर मसकनवा की तरफ से आ रही कार में बैठे 04 अज्ञात लोगों ने आवेदक व उसके साथी का बैग, जिसमें कैमरा छीनकर भाग गए। वादी शुभम गुप्ता उपरोक्त द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना मनकापुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही —

आज दिनांक 26-09-2026 को थाना मनकापुर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी। मुखबिर खास की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा ज्ञानी पुर रामप्रसाद में स्थिति आईटीआई मोड़ के पास छिनैती करने के 03 अभियुक्तों 1-मोहन लाल चौहान पुत्र धर्मराज, 2- करन पुत्र घिराहु 3- अभि पांडे उर्फ गोलू पुत्र स्वर्गीय करुणा निधान पांडे को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना मनकापुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

- 1- मोहन लाल चौहान पुत्र धर्मराज ग्राम सुकरौली पांडे थाना परशुराम जनपद बस्ती
- 2- करन पुत्र घिराहु ग्राम देविया बक्श पांडे थाना पैकोलिया जनपद बस्ती
- 3- अभि पांडे उर्फ गोलू पुत्र स्वर्गीय करुणा निधान पांडे ग्राम सुकरौली पांडे थाना परशुराम पुर जनपद बस्ती।

बरामदगी—

- 1- 02 अदद डीएसएलआर कैमरा मय सेटअप
- 2- 03 अदद मोबाइल
- 3- स्विफ्ट डिजायर कार

पंजीकृत अभियोग—

- 1- मु0अ0सं0 357/26 धारा 304(2),317(2) बीएनएस थाना मनकापुर, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उपनिरीक्षक श्री रामप्रकाश चंद
02. हेड कांस्टेबल संजीव कुमार
03. का0 दिनेश यादव
04. का0 हरिपाल वर्मा

05- का0 इंद्रेश कुमार।

06. का0 सचिन कुमार।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 26.09.2026

थाना तरबगंज पुलिस द्वारा बिटुमिन/तारकोल की हेराफेरी एवं चोरी करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार—

घटना का संक्षिप्त विवरण—

वादी आलोक पाण्डेय पुत्र राकेश कुमार पाण्डेय, प्रोपराइटर आलोक कन्स्ट्रक्शन, निवासी ग्राम देवरदा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना तरबगंज पर लिखित तहरीर दी गयी कि उनका रोड कन्स्ट्रक्शन प्लांट तरबगंज-रगड़गंज मार्ग पर परसदा बाजार के आगे देवरदा के पास स्थित है। प्लांट के कांटे का संचालन कृपाशंकर पाण्डेय व दयाशंकर पाण्डेय तथा एच.एम. प्लांट का संचालन नियुक्त एजेन्ट प्रतिनिधि अमित कुमार एवं प्लांट एजेन्ट अरबाज आलम द्वारा किया जाता था। वादी द्वारा आरोप लगाया गया कि उक्त व्यक्तियों ने आपस में षड्यंत्र कर कुछ अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर प्लांट पर आने वाले बिटुमिन/तारकोल की कांटे के माध्यम से हेराफेरी एवं चोरी की तथा चोरी किए गए माल को कम कीमत पर बेचकर प्राप्त धनराशि का आपस में लेन-देन किया। वादी के अनुसार उक्त कृत्य विगत लगभग 05 वर्षों से किया जा रहा था, जिससे फर्म को काफी वित्तीय क्षति हुई। वादी द्वारा यह भी आरोप लगाया गया कि तारकोल की सप्लाई से संबंधित दिल्ली गोल्डन लाजिस्टिक के मालिक निखिल चौहान एवं उनके अकाउंटेंट पप्पू कुमार भी उक्त कृत्य में शामिल थे तथा तारकोल की बड़ी मात्रा में हेराफेरी की गई। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना तरबगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही—

आज दिनांक 26-09-2026 को थाना तरबगंज पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। मुखबिर खास की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तरबगंज बाजार के पास चोरी के अभियुक्त अमित पुत्र राम लखन निवासी महरौरा थाना बछरावां जनपद रायबरेली को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना तरबगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त —

1-अमित पुत्र रामलखन निवासी महरौरा थाना बछरावां जनपद रायबरेली ।

पंजीकृत अभियोग—

1-मु0अ0सं0— 0302/26 धारा 316(5), 318(4), 61(2), 344] 336(3), 340(2),3(5) बीएनएस थाना तरबगंज गोण्डा ।

गिरफ्तार कर्ता टीम —

1-उ0नि0 श्री जितेन्द्र पाण्डेय

2-कां0 राज कुमार

3-कां0 शशांक वर्मा

मीडिया सेल, गोण्डा।